_राजस्थान – सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू

मु0नं0 282/2016 आदेश दिनांकः 30.06.2025

अनुवानी

भगवानसिंह आदि बनाम सुमन देवी आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

आदेश

न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त अनुवानी दावा में प्रतिवादी सं. 01 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया जिसके मुख्य बिन्दु इस प्रकार है कि

6. यह कि उपर वर्णित शीर्षक वाद माननीय न्यायालय में जेरकार है।
7. यह कि वादीगण द्वारा दावा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में चिरस्थाई निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है जिसके मुताबिक वादीगण ने प्रतिवादीगण की कृषि भूमि में से रासत मांगने बाबत उक्त दावा पेश किया है जो कि उक्त रास्ते के विवाद बाबत् किसी भ प्रकार की काई रिलीफ धारा 188 आर.टी.ए. में नहीं दी जा सकती है पड़ौसी काश्तकार की खेत खसरा भूमि में से रास्ता चाहने बाबत वादीगण को धारा 251(क) में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होता है किन्तु वादीगण ने दावा ही श्रीमानजी के न्यायालय में गलत धारा में पेश किया है जिसमे रास्ते बाबत किसी प्रकार की रिलीफ माननीय न्यायाय से प्रापत नहीं की जा सकती है जिस कारण वादीगण का दावा चलने योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।
8. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की कृषि भूमि के अलग–अलग खाता और जिसमें वादीगण द्वारा सुखाधिकार रास्ते के लिए प्रार्थना पत्र 251(क) का पेश करना चाहिए था ना कि दावा इसलिए उक्त दावा इसी स्टे टपर खारिज फरमाया जावे।
9. यह कि प्रतिवादीगण ने उक्त कृषि भूमि का विक्रय दिनांक 04.10.2012 को किया था जिस बाबत हम प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। उक्त इकरारनामा किसने किसके कहने पर और कोई जानकारी नहीं है। उक्त इकरारनामा किसने किसके कहने पर और क्यों बनाया है इस बाबत भी हम पक्षकार अनभिज्ञ हैं केवलमात्र गलत तरीके से रास्ता प्राप्त करने के उद्येश्य से यह मिथ्या कपोल कल्पित व निराधार इकरारनामा तैयार करवाकर दावा के साथप्रस्तुत किया है जिसको देखेने से स्पष्ट हो जाता है कि केवलमात्र अपनी दूषित मन्शा के चलते यह इकरारनामा/सहमति पत्र तैयार करवाया गया है जिसमें हम प्रतिवादीगण के कहीं कोई हसताक्षर नहीं है और ना ही हमारी उपिस्थति उस दिन चूरू न्यायालय में है तथा सहमति पत्र के किसी भी पृष्ठ पर हम पक्षकारान प्रतिवादीगण के एवम् गवाहान के कोई भी हस्ताक्षर नहीं है केवलमात्र प्रथम पक्ष सोहनलासल व हरलाल के हस्ताक्षर से सहमति पत्र तैयार किया गया है जो किसी भी रूप में माने जाने योग्य नहीं है।
10. यह कि जब हरलाल व सोहनलाल [illegible] तो उक्त विक्रेतागण को किसी प्रकार का इस कृषि भू[illegible] का अधिकार नहीं रहा था इसलिए उक्त इकरारनामा न्याय संगत नहीं होने से [illegible] विधि विरूद्ध होने से माने[illegible]योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:32:09 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण को उक्त सहमति पत्र के आधार पर रास्ता की बाबत यह दावा लाने का कतई कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त मूल सहमति पत्र में ही प्रतिवादगण के कहीं कोई हस्ताक्षर नहीं है ना ही उक्त सहमति पत्र में किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर हैं अपितु प्रतिवादीगण को तो उक्त सहमति पत्र में किसी स्वतंत्र गवाह के हसताक्षर हैं अपितु प्रतिवादीगण को तो उक्त सहमति पत्र की बाबत आज से पूर्व कभी कोई जानकारी भी नहीं थी यह सहमति पत्र बिना प्रार्थीगण प्रतिवादीगण की सहमति व जानकारी के केवल मात्र निजी हित व दूषि मन्शा को पूरी करने के लिए फर्जी तैयार करवाया गया है तथा रास्ता चाहने की बाबत भी गलत धारा में वादीगण द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया गया है व कानून सम्मत व उचित धारा में वादीगण द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया गया है व कानून सम्मत व उचित धारा–में यह दावा पेश नहीं होने के कारण पोषणीय नहीं होने के चलते भारी हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे व खर्चा प्रतिवादीगण को वादीगण से दिलवाया जावे।

वादी की ओर से प्रार्थना–पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का इस प्रकार प्रस्तुत किया।

6. यह कि प्रतिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र मात्र प्रकरण को देरीना करने की नियत से प्रस्तुत किया है चो चलने योग्य नही है जो खारिज किये जाने योग्य है।

7. यह कि प्रतिवादी ने जिन आधारो पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उक्त आधार आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत नहीं आते है। जिस कारण भी प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं।

8. यह कि प्रतिवादी ने जिस इकरारनामा को फर्जी बताया है उसके बाबत ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है और न ही उक्त इकरारनामाम फर्जी होने की जानकारी होने के बावजूद आज 10 वर्ष पश्चात् भी कोई कार्यवाही उसने की हैं। मात्र प्रकरण को देरीना करने की नियम से उसने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं गिया है उसने यह प्रार्थना पत्र मात्र जबाब दावा प्रस्तुत करने से बचने के लिए मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत किया है जो खारिज किं जाने योग्य है।

9. यह कि प्रतिवादी ने आज तक जबाब प्रस्तुत नहीं गिया है उसने यह प्रार्थना पत्र मात्र जबाब दावा प्रस्तुत करने से बचने के लिए मिथ्या आधारो पर प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

10. यह कि प्रतिवादी ने जिन आधारो पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उक्त उजर आपति प्रतिवादी ने जबाब दावा में ले सकता है और प्रकरण में तनकियात कायम की जाकर साक्ष्य ली जाकर उनको तय किया जा सकता है जिस कारण भी प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जवाब प्रस्तुत होने पर अधिकवक्ता प्रतिवादी की बहस सुनी गई बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। दावा में वादी की ओर से बजरंगलाल, रूकमणी, मांगीलाल, मोहनी, नारायण व पेशुराम से दिनांक 08.10.2012 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की जानी बताई है। वादी क्रय कि दिनांक से ही खसरा संख्या 161 से पूर्वी सींव के सहारे–सहारे तथा खसरा नम्बर 296 खसरा नम्बर 296 मे जाने वाले रास्ते के उक्त खसरा नम्बर 296 से पूर्व खातेदार भी जाते थे तथा भूमि के क्रय से आज दिनांक तक वादी भी जा रहा है। उक्त प्रकरण के बारे में सहमति

इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा उठाई गई यह आपत्ति भी इस दावा में चलने योग्य प्रतीत नहीं होती है। वैसे भी वादिनी के दावा का मुख्य अनुतोष घोषणात्मक खातेदारी का है जिसमें मियाद के तथ्य का कोई प्रभाव नहीं होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि इस प्रार्थना पत्र में उठाई गई आपत्तियो का निस्तारण मूल वाद में तनकीयात [illegible] साक्ष्य किया जाना है जो कि इस प्रकार की सम्मरी प्रोसीडिंग के आधार पर निर्णित नहीं [illegible] जा[illegible]ती। वादिनी के इस दावा पर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व धारा 151 [illegible] प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने योग्य है। वकील उभयपक्ष द्वारा [illegible] माननीय [illegible]लयों के न्यायिक दृष्टान्तों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया जिनके अवलोकन से भी उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाया जाता है। उक्त तथ्य सहमति पत्र में अंकित है परन्तु उन सभी पर केवल सोहनलाल व हरलाल के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:32:09 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर है। वादिनीगण ने दावा राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अंतर्गत स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दायर किया था, जिसमें उन्होंने प्रतिवादीगण की कृषि भूमि में से रास्ते की मांग की। प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र व अधिवक्ता प्रतिवादी की बहस सुने जाने से निम्न तथ्य परिलक्षित होते हैं कि

इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में प्रतिवादी सं. 01 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया, जिसमें वादीगण द्वारा राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अंतर्गत दायर दावे को विधि विरुद्ध, अपोषणीय व गलत प्रावधान के अंतर्गत लाया गया बताया गया है।

प्रतिवादीगण के अनुसार, वादीगण ने जिस प्रकार से कृषि भूमि से रास्ता प्राप्त करने की मांग की है, उसके लिए उचित उपाय धाराओं में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होता है न कि स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दावा दायर करना। अतः दावा प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज किया जाना उचित है।

वादीगण की ओर से यह प्रतिवाद किया गया कि यह प्रकरण तनकीयात का है तथा इसके निस्तारण हेतु साक्ष्य आवश्यक हैं, और प्रार्थना पत्र मात्र देरी व जबाब से बचने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली के गहन परीक्षण, अधिवक्ताओं की बहस एवं अभिलेखों के अवलोकन उपरांत निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं:

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा धारा 188 काष्तकारी अधिनियम के अंतर्गत दायर किया गया है, जबकि उसमें उल्लिखित राहत, अर्थात् "रास्ते का स्थायी अधिकार", उक्त धारा में प्रकट रूप से उपलब्ध नहीं है।

रास्ता संबंधी विवादों के लिए पृथक विधिक उपाय, विशेष रूप से धारा 251(क) आर.टी.ए. एवं भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 नियम 53 से 60 उपलब्ध है, जिसके तहत प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है, किंतु वादीगण ने उक्त विधिक उपचार का उपयोग नहीं किया।

प्रस्तुत वाद में जो सहमति पत्र लगाया गया है, उसमें प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर नहीं हैं, न ही स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर हैं, और प्रतिवादीगण ने स्वयं को उस सहमति पत्र से अनभिज्ञ बताया है। यह विवाद सहमति की वैधता से संबंधित है, परंतु यदि दावा मूलतः विधिसम्मत प्रावधान के अंतर्गत ही नहीं लाया गया, तो उसकी पोषणीयता पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है।

इस न्यायालय का विचार है कि वाद यदि विधिक दृष्टि से पोषणीय ही नहीं है, तो उस पर आगे विचार कर साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती। आदेश 7 नियम 11 स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि वाद पत्र से ही यह स्पष्ट हो कि वादी को कोई कारण–कार्य नहीं है, तो वाद खारिज किया जा सकता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी सं. 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक ३३ अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. को स्वीकृत किया जाता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत मुख्य वाद को खारिज किया जाता है, क्योंकि यह वाद पोषणीय नहीं है तथा गलत विधिक प्रावधान के अंतर्गत लाया गया है।

वादीगण, यदि चाहे, तो उचित प्रावधान यथा धारा 251(क) आर.टी.ए. एवं भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 नियम 53 से 60 अंतर्गत पृथक रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिजेन्द्रसिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:32:09 IST
Reason: SelfAttested